सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

माघ 26, शनिवार, *शाके 1946*- फरवरी 15, 2025

Magha 26, Saturday, Saka 1946- February 15, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 2025

संख्या प. 7(692) एसएचए/पीपीपी/2021-22/RAJKAJ NO 13497412 :-यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि बम्बोरा (किशनगढ बास) एस.एच.-25 से नौगांव (MDR-25/VR) सड़क परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 19 अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रामगढ जिला अलवर द्वारा सार एवं घोषणा संबधी अधिसूचना दिनांक 04.10.2023 जारी किया गया है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 15.02.2024 को किया गया। धारा 19 की अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन दिनांक 15.02.2024 के पष्चात् 12 माह की अवधि 15.02.2025 में अधिनियम 2013 की धारा 25 अन्तर्गत अवार्ड जारी नहीं हो पाया है।

अतः अब अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रथम परन्तुक की षक्ति का प्रयोग करते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रामगढ, जिला अलवर द्वारा बम्बोरा (किशनगढ बास) एस.एच.-25 से नौगांव (MDR-25/VR) सडक परियोजना हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगढ के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली भूमि-अर्जन के लिए धारा 25 अन्तर्गत अवार्ड जारी करने की अवधि को 12 माह के लिए और बढ़ाया जाता है। यह अधिसूचना माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान द्वारा ई-फाईल संख्या-08565 के पैरा-133/एन पर प्राप्त स्वीकृति दिनांक 05.02.2025 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल के आदेश से,
आर. के. लूथरा,
सयुक्त सचिव (पथ,
सा.नि.वि. जयपुर।

9820

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।